संख्या-14/2015/392/78-2-2015-83आई.टी./2013

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इले. अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषय:- विभागीय वेबसाईट हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1803/78-2-2013-83आई.टी./2013 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. आप अवगत हैं कि शासन के प्रत्येक विभाग की एक अधिकृत वेबसाईट क्रियाशील है, जिस पर उस विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं तथा अन्य जनोपयोगी सूचनाओं का प्रदर्शित होना अपेक्षित है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जन सामान्य को समस्त सूचनायें इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। निश्चित ही इससे सूचनाओं हेतु नागरिकों को विभागों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा साथ ही साथ पारदर्शिता के कारण शासन के प्रति उनका विश्वास सुदृढ़ होगा।

3. यहाँ पर यह तथ्य संज्ञान में लाना आवश्यक है कि बहुत से विभागों की वेबसाईट अपडेटेड नहीं रहती है एवं उस पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित पुराने आकडे ही प्रदर्शित होते है। नई विभागीय वेबसाइट्स पर विभाग के अधिकारियों के नाम तथा टेलीफोन नम्बर या तो प्रदर्शित नहीं है या अद्यतन नहीं है।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रत्येक विभाग में विभागीय वेबसाईट के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करने का निर्णय लिया गया है, जो उक्त वेबसाईट पर प्रदर्शित होने वाली समस्त सूचनाओं के अद्यतन रहने हेतु उत्तरदायी होगा। उसका यह दायित्व होगा कि विभाग से संबंधित समस्त जनोपयोगी सूचनाएं यथा-विभाग द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाएं, लाभार्थियों की जनपदवार सूची, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं समस्त जनपद स्तरीय, विभागाध्यक्षों तथा शासन स्तरीय अधिकारियों के नाम तथा टेलीफोन नम्बर तथा उनका कार्य वितरण, विभाग से सम्बंधित विभिन्न अधिनियम, विभिन्न न्यायालयों में विभाग से सम्बंधित पारित निर्णय, विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों की कोटिक्रम सूची तथा विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों की संख्या व दिनांक आदि अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करायें तथा इस सूची को अद्यतन रखें। सूचना के अधिकार द्वारा वांछित समस्त विवरण भी इस वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाये। सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की विभागीय वेबसाईट पर उन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सारी जानकारियों तक पहुँच हो जाये जो किसी अधिनियम द्वारा अथवा अन्यथा गोपनीय नहीं है। संबंधित नोडल अधिकारी के स्थानान्तरण की स्थिति में उसके द्वारा कार्यमुक्त होने से पूर्व अपना उत्तराधिकारी विभाग द्वारा नामित करा दिया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले0 को दी जाये।

5. कतिपय विभागों द्वारा नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव से निम्न स्तर के अधिकारी को नामित किया गया है। ऐसे विभागों द्वारा भी संयुक्त सचिव से निम्न अधिकारी का नामांकन निरस्त करते हुए पुन: नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नोडल अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव से निम्न अधिकारी को नामित न किया जाये। विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव नोडल अधिकारी को नामित करने के साथ-साथ विभागाध्यक्षों तथा जनपदों से समस्त वांछित सूचनाएं उन्हें उपलब्ध करा दें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 15.04.2015 तक यह कार्यवाही पूर्ण हो जाये। नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम टेलीफोन एवं मोबाइल नं0 तथा ई-मेल का विवरण भी आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या:14/2015/392(1)/78-2-2015 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त आयुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. सचिव(अ), मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्षों को उपरोक्तानुसार समस्त वांछित सूचनाओं को अपने विभागीय प्रमुख सचिव को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
6. सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, गोमती नगर, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(पी), आई.टी. एवं इले. विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी.एस. प्रियदर्शी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in